न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 144/2024

प्रार्थीगण :-

1. सुजानराम पुत्र डयाराम जाति खारडिया(सीरवी) निवासी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. लादूराम पुत्र डयाराम जाति खारडिया(सीरवी) निवासी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. बींजाराम पुत्र डयाराम जाति खारडिया(सीरवी) निवासी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री जी एल कंसारा, अधिवक्ता।
अप्रार्थी- सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :- 26/07/2(...)

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक 03, पटवार क्षेत्र बिलाड़ा चक 03, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी सं. 01 सुजानराम के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 1236 खसरा नंबर 4667/12 रकबा 0.9708 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नंबर 4669/3 रकबा 0.3317 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 4670/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 03 का कुल रकबा 1.5614 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थी सं. 01 सुजानराम बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थी सं. 01 सुजानराम की उपरोक्त वर्णित खाता व खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में हलका पटवारी द्वारा सेव से, भूलवश, या त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का डयाराम के स्थान पर प्रार्थी के पिता नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज कर दिया गया है, जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है। बिलाड़ा चक 03, पटवार क्षेत्र बिलाड़ा चक 03. भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी सं. 02 लादूराम के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 1123 खसरा नंबर 4667/11 रकबा 0.3883 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नंबर 4669/2 रकबा 0.4045 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 4670 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 03 का कुल रकबा 0.9546 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थी सं. 02 लादूराम बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है. जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थी सं. 02 लादूराम की उपरोक्त वर्णित खाता व खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में हलका

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

पटवारी द्वारा सेव से, भूलवश, या त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का डयाराम के स्थान पर प्रार्थी के पिता नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज कर दिया गया है, जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है। बिलाड़ा चक 03, पटवार क्षेत्र बिलाड़ा चक 03. भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी सं. 03 बींजाराम के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 740 खसरा नंबर 4667/7 रकबा 0. 9708 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नंबर 4669 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, कुल खसरा 02 का कुल रकबा 1.3187 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। तथा खाता सं. 741 खसरा नंबर 4668 रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कृषि भूमि स्थित है। उक्त दोनों खाता सं. 740 व 741 की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थी स. 03 बींजाराम बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी सं. 03 बींजाराम की उपरोक्त वर्णित खातों व खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में हलका पटवारी द्वारा सेव से, भूलवश, या त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का डयाराम के स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज कर दिया गया है, जिसके सबूत में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातो व खसरान भूमि के राजस्व रेकर्ड में हलका पटवारी द्वारा सेव से, भूलवश, या त्रुटिवश सभी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम ड्यारामं के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम नाम दर्ज कर दिया गया है, जिसके सबूत में सभी खातों की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है। प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से उपरोक्त वर्णित खातो व खसरान की खातेदारी की कृषि भूमि की जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रतिलीपी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरान की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी व गिरदावरी में हलका पटवारी द्वारा सेव से भूलवश सभी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम ड्याराम के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिताजी का नाम डयाराम के स्थान पर डाहराम उर्फ डामाराम नाम राजस्व रेकर्ड में सेव से मूलवश गलत इन्द्राज होने से कभी भी उक्त भूमि बाबत् वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है तथा प्रार्थीगण के पिताजी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज होने से प्रार्थीगण को केसीसी ऋण लेने भी काफी परेशानी होती है तथा कृषि भूमि संबंधित सरकारी योजनाओ का भी लाभ प्रार्थीगण नहीं ले पा रहे है। इस कारण राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए गलत इन्द्राज को दूरस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। सभी प्रार्थीगण सं. 01 से 03 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम डयाराम ही है, तथा प्रार्थीगण अपने पिता के वास्तविक डयाराम होने बाबत् अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी की फोटोप्रति, तथा बेचान रजिस्ट्रीयों की फोटो प्रति जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम ड्याराम दर्ज है। प्रार्थीगण के नाम से राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी की फोटोप्रति तथा बेचान रजिस्ट्रीयों की फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश करता है। हलका पटवारी द्वारा सेव व भूलवश प्रार्थीगण के

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

उक्त वर्णित खातेदारी की उपरोक्त खातों व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम ड्यारामके स्थान पर डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम के स्थान पर डयाराम राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण अपने उक्त वर्णित खातेदारी की उपरोक्त खातों व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हलका पटवारी द्वारा सेव से भूलवश किए गए प्रार्थीगण के पिताजी का नाम डाहराम उर्फ डामाराम के स्थान पर ड्याराम दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवाना चाहता है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा सेव से एवं टंकण त्रुटि से किए गए नाम परिवर्तन को दूरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्य तर्क बरवक्त बहस निवेदन किया जायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खातो व खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती की जाकर प्रार्थी के पिता का डाहराम उर्फ डामाराम के स्थान पर डयाराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमायें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 3 पटवार क्षेत्र बिलाडा चक नं. 3 निरीक्षक क्षेत्र बिलाडा की सीमा में स्थित खसरा नंबर 4667/12 रकबा 0.9708 हैक्टयर, खसरा नंबर 4669/3 रकबा 0.3317 हैक्टयर, खसरा नंबर 4670/1 रकबा 0.2589 हैक्टयर कुल रकबा 1.5614 हैक्टयर स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी सं. 1 सुजानराम का कब्जाकाश्त है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचानकार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में पिता का नाम डयाराम दर्ज है। ग्राम बिलाडा चक नं. 3 के खसरा 4667/11 रकबा 0.3883 हैक्टयर, खसरा नंबर 4669/2 रकबा 0.4045 हैक्टयर, खसरा नंबर 4670 रकबा 0.1618 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.9546 हैक्टयर स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी सं.2 लादूराम का कब्जा काश्त है। ग्राम बिलाडा चक नं. 3 के खसरा नंबर 4667/7 रकबा 0.9708 हैक्टयर, खसरा नंबर 4669 रकबा 0.3479 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.3187 हैक्टयर आई हुई है। उक्त भूमि पर प्रार्थी सं. 3 बींजाराम बतौर खातेदार काश्तकार है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचानकार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में पिता का नाम दयाराम दर्ज है। प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपने पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम के स्थान पर दयाराम करवाना चाहते है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र/प्रार्थना पत्र के पद सं. 1, 3, व 5 दर्ज खसरा नंबरान में प्रार्थी सुजानराम, लादूराम व बींजाराम के पिता का नाम डाहराम उर्फ डामाराम के स्थान

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

पर सुजानराम पि.दयाराम, लादूराम पि. दयाराम, बींजाराम पुत्र दयाराम की दुरूस्ती किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैनकार्ड, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की प्रतिलिपि आदि में प्रार्थीगण के पिता का नाम सुजानराम पुत्र दयाराम, बींजाराम पुत्र दयाराम व लादूराम पुत्र दयाराम दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थीगण के पिता का नाम सुजानराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम, लादूराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम व बींजाराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 के वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी में सुजानराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम, लादूराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम व बींजाराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम के स्थान पर सुजानराम पुत्र दयाराम, बींजाराम पुत्र दयाराम व लादूराम पुत्र दयाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26/08/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- **बनाम** **प्रतिवादी** :-
सुजानराम सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 144/2024

निर्णय **दिनांक** :- 26/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 के वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी में सुजानराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम, लादूराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम व बींजाराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम के स्थान पर सुजानराम पुत्र दयाराम, बींजाराम पुत्र दयाराम व लादूराम पुत्र दयाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा